"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर 2013— भाद्र 14, शक 1935

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-11/दो-गृह/न. से./2008 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में ,-

1. नियम 2 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(ग-1) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है आरक्षक चालक तथा डिस्पेच रायडर के पद के लिए उपस्थित हो रहे अभ्यर्थियों के लिए दौड़/चाल हेतु अर्हक परीक्षा ;"

2. नियम 2 के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(झ-1) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है ट्रेड परीक्षा एवं साक्षात्कार ;
(झ-2) "चयन परीक्षा" से अभिप्रेत है आरक्षक चालक तथा डिस्पेच रायडर के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए दो चरणों में संचालित परीक्षा ;"

3. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"(ड) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि जिनकी पूर्व से ही एक जीवित संतान हो और अगला प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक बच्चे का जन्म होता है, तो वह अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा."

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"(4) **शारीरिक अर्हताएं :-** आरक्षक चालक तथा डिस्पेच रायडर के पदों के लिए शारीरिक अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :-

क. ऊंचाई :-

(एक) 168 से. मी. या अधिक (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए);

(दो) 153 से. मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर-दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर-कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए); और

(तीन) 158 से. मी. या उससे अधिक, शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए.

ख. सीना :-

(एक) 81 से. मी. बिना फुलाए (76 से. मी. अनुसूचित जनजातियों के लिए);

(दो) 86 से. मी. फुलाने पर (81 से. मी.अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए) 5 से. मी. फुलाना अनिवार्य है.

(तीन) महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक योग्यता से छूट प्रदान की जायेगी.

ग. अभ्यर्थी को दृष्टि संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए. बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिये. अभ्यथियों को मुख्य रंगों के बीच अन्तर करने में समर्थ होना चाहिये.

(5) **शारीरिक दक्षता परीक्षा :-** आरक्षक चालक तथा डिस्पेच रायडर के पदों के लिए अभ्यथियों को 5 कि. मी. की दौड़/चाल अधिकतम 40 मिनट की समय-सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा. यह स्थिति प्रकृति में अर्हकारी होगी तथा इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है.

टीप- बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में, नगर सेना और नगर सुरक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा पदों को, केवल बस्तर और सरगुजा के स्थानीय निवासियों के द्वारा भरा जायेगा."

5. अनुसूची-चार के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 7 में, शब्द एवं चिन्ह "भृत्य फालोवर हव. अर्दली (विभागीय आर्म्स पाठ्यक्रम से अर्हित) चतुर्थ श्रेणी से" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द एवं चिन्ह "आरक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (विभागीय आर्म्स पाठ्यक्रम से अर्हित)." प्रतिस्थापित किया जाये.

6. अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) पदों का पुनरीक्षित वेतनमान पत्रक

स. क्र. (1)	स्वीकृत पद के नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतन बैंड (5)	ग्रेड वेतन (6)
1.	1. मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (एम. टी. ओ.)	01	तकनीकी सेवा	5200-20200	2800
	2. सहायक उप-निरीक्षक (एम. टी.)	01	तकनीकी सेवा	5200-20200	2400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. हवलदार (एम. टी.)	06	तकनीकी सेवा	5200-20200	2200
	4. आरक्षक चालक (एम. टी.)	39	तकनीकी सेवा	5200-20200	1900
	5. डिस्पेच रायडर (एम. टी.)	05	तकनीकी सेवा	5200-20200	1900
2.	आरमोरी				
	1. सहायक उप-निरीक्षक (आर्म्स)	02	तकनीकी सेवा	5200-20200	2400
	2. हवलदार आरमोरर	05	तकनीकी सेवा	5200-20200	2200

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती की प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [देखिए नियम 6 (क)]	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [देखिए नियम 6 (ख)]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा [देखिए नियम 6 (ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा					
एम. टी.	1. मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (एम. टी. ओ.)	01	-	100%		
	2. सहायक उप-निरीक्षक (एम. टी.)	01	-	100%		
	3. हवलदार (एम. टी.)	06	-	100%		
	4. आरक्षक चालक (एम. टी.)	39	100%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	5. डिस्पेच रायडर (एम. टी)	05	100%			
आरमोरर	1. सहायक उप-निरीक्षक (आर्म्स)	02	-	100%	-	यह पद हवलदार आरमोरर से भरा जायेगा.
	2. हवलदार, आरमोरर	05	-	100%	-	यह पद आरक्षक, जो विभागीय आरमोरर पाठ्यक्रम में अर्हित हो, से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा.

टीप - सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा की जायेगी.

अनुसूची-तीन

(नियम 6 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु एवं शैक्षणिक अर्हता

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	चयन समिति (6)
गृह विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा आरक्षक, चालक तथा डिस्पेच रायडर (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)	24	35	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं भारी वाहन चालन की अनुज्ञप्ति होना चाहिये. नगर सैनिक को न्यूनतम 06 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी चाहिये.	1. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर/ संभागीय सेनानी-अध्यक्ष 2. जूनियर स्टॉफ ऑफिसर अथवा समकक्ष-सदस्य 3. क्वाटर मास्टर अथवा समकक्ष-सदस्य 4. मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अथवा समकक्ष-सदस्य अध्यक्ष एवं सदस्य महानिदेशक, नगर सेना द्वारा नामांकित किये जायेंगे.

टीप - सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-5-94-1, आ. प्र., दिनांक 24-05-95 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि चयन समिति में रखे जायेंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-11/दो-गृह/न. से./2008.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-11/दो-गृह/न. से./2008 दिनांक 05-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th Septmber 2013

NOTIFICATION

No. F 13-11/Two-Home/H. G./2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh the Home Guards Class-III (Technical) Service Recruitment Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules ,-

1. After clause (c) of rule 2, the following shall be inserted, namely :-

"(c-1) "First Phase" means the qualifying test for running/walking in which candidates appearing for the post of Constable Driver and Dispatch Rider Participate;"

2. After clause (i) of rule 2, the following shall be inserted, namely :-

"(i-1) "Second Phase" means the trade test and interview ;
(i-2) "Selection Test" means test carried out in two phases for the candidates for the post of Constable Driver and Dispatch Rider;"

3. After clause (l) of sub-rule (1) of rule 8, the following shall be added, namely :-

"(m) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post who has already one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born."

4. After sub-rule (3) of rule 8, the following shall be added, namely :-

"(4) Physical Qualifications :- The Physical qualifications for the posts of Constable Driver and Dispatch Rider shall be as under :-

A HEIGHT :-

(I) 168 c. m. or more (for the male candidates of General Category, Scheduled Castes and Other Backward Classes) ;

(II) 153 c. m. or more (for the female and male candidates of Scheduled Tribes candidates of South Baster-Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Baster, North Bastar-Kanker, Koria, Sarguja and Jashpur Revenue Districts) ; and

(III) 158 c. m. or more for the candidates of Scheduled Tribes category of remaining revenue Districts.

B CHEST :-

(I) 81c. m. without expansion (76 c. m. for Scheduled Tribes) ;

(II) 86 c. m. on expansion (81 c. m. for Scheduled Tribes candidates) expansion of 5 c. m.is compulsory ;

(III) Female candidates shall be exempted from this physical fitness.

C The candidate should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/9 of one eye and 6/12 of the other eye. Candidates should be able to differentiate between main colours.

(5) **Physical Proficiency Test :-** The candidates for the posts of Constable Driver and Dispatch Rider have to compulsorily complete 5 K. m. run/walk within maximum time limit of 40 minutes. This event shall be qualifying in nature and no marks are prescribed for it.

NOTE - In the district of Bastar and Sarguja, Divisions, Class III (Technical) Service Posts of direct recruitment nature in the Home Guards and Civil Defence Department, shall only be filled up by the local residents of Bastar and Sarguja."

5. In serial number 7 of Column (2) of Schedule-IV, for the words and figures "From Class-IV Peon Follower hav. Orderly (Qualified in Deptt. Arm Course)" the following words and figures "Constable and Class-IV employees (qualified from Departmental Arms Course)" shall be substituted.

6. For Schedule-I, II and III, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE - I

(See Rule 5)

Revised Pay Scale Sheet of Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Posts

Sl. No.	Name of the sanctioned post	Total number of posts	Classification	Pay Band	Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Motor Transport Officer (MTO)	01	Technical Service	5200-20200	2800
	2. Assistant Sub-Inspector (MT)	01	Technical Service	5200-20200	2400
	3. Havaldar (M. T.)	06	Technical Service	5200-20200	2200
	4. Constable Driver (M.T)	39	Technical Service	5200-20200	1900
	5. Despatch Rider (M.T)	05	Technical Service	5200-20200	1900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Armoury 1. Assistant Sub-Inspector (Arms)	02	Technical Service	5200-20200	2400
	2. Havaldar Armourer	05	Technical Service	5200-20200	2200

SCHEDULE - II
(See Rule 6)
Recruitment Procedure

Name of the Department	Name of service and posts	Total number of posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See Rule 6 (a)]	By Promotion of permanent staff members of service [See Rule 6 (b)]	By Temporary transfer of persons of other services [See Rule 6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Home Department	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Service					
M. T.	1. Motor Transport Officer (M. T.)	01	-	100%		
	2. Assistant Sub-Inspector (M. T.)	01	-	100%		
	3. Havaldar (M. T.)	06	-	100%		
	4. Constable Driver (M. T.)	39	100%			
	5. **Dispatch Rider** (M. T.)	05	-100%			
Armourer	1. Assistant Sub-Inspector (Arms)	02	-	100%		This post shall be filled from Havaldar Armourer

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Havalder Armourer	05		100%		This post shall be filled by Promotion from constable who are qualified in departmental Armourer Course.

NOTE - Direct Recruitment shall be made through Competitive Examination and Interview.

SCHEDULE - III

(See Rule 6)

Age and Educational Qualification for Direct Recruitment

Name of the Department (1)	Name of service and post (2)	Minimun Age Limit (3)	Maximun Age Limit (4)	Requisite Educational Qualifiction (5)	Selection Committee (6)
Home Department	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Technical) Service Constable, Driver and Dispatch Rider (For Male candidates only)	24	35	8th Class passed and must posses Heavy Driving License. Home Guard must have completed minimum 06 years service.	1. Senior Staff Officer/Dovisional Commandant-Chairman. 1. Junior Staff Officer or equivalent-Member. 3. Quarter Master or equivalent-Member. 4. M. T. O. or equivalent-Member. The Chairman and the members shall be nominated by Director General, Home Guards.

NOTE - The representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be kept in the Selection Committee as per Memorandum No. F-7-5-94-1, A. P., dated 24-05-95 of General Administration Department."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.